



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर




दिनांक 10.10.2020

## अति-महत्वपूर्ण सूचना

ऐसे समस्त असामाजिक तत्व, जो म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के तहत महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अभद्र व्यवहार जैसे – गलत स्क्रीन शेयरिंग, गन्दे कमेंट्स, चैटींग आदि कर रहे हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सायबर सेल, एस.एस.पी. कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.) में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है।

अतः यदि ऐसा कृत्य करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो उस पर आई.टी. एक्ट 2005 के तहत सायबर सेल, एस.एस.पी. कार्यालय, इन्दौर में शिकायत दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
प्राचार्य  
शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय  
इन्दौर